

IT - 2303

20/07/21

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
मुख्यालय, जयपुर


क्रमांक एफ3/मु0./याता/सांख्यिकी/21/752

दिनांक:-20/07/21

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ4/मु0./याता/लेखा/2021/1157 दिनांक 06.05.21 द्वारा निगम की आय में वृद्धि करने एवं उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से "बस सारथी योजना, 2021" लागू की जाकर योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। बस सारथियों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनो के परीक्षण उपरान्त योजना के बिन्दु संख्या 12- ii में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"बस सारथी एक माह में 04 दिन का साप्ताहिक विश्राम प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। उक्त 04 विश्राम दिनों के अतिरिक्त बस सारथी के अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थित दिवसों का वेतन देय नहीं होगा। बस सारथी के अनुपस्थित रहने पर शास्ती 500/- रुपये एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त की नियमानुसार वसूली होगी। प्रत्येक अनुपस्थित दिवस की शास्ती वसूली पृथक-पृथक से की जावेगी।"



(राजेश्वर सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 20/07/21

क्रमांक एफ3/मु0./याता/सांख्यिकी/21/752

प्रतिलिपी-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.प.नि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष..... रा.रा.प.प.नि, मुख्यालय, जयपुर।
3. उप महा प्रबन्धक..... रा.रा.प.प.नि, मुख्यालय, जयपुर।
4. उप महा प्रबन्धक (आई0टी0) रा.रा.प.प.नि, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है. कि सभी सम्बंधितों को ई-मेल प्रेषित करें एवं निगम की वेबसाईट पर उपरोक्त आदेश उपलब्ध करावे।
5. कार्यकारी प्रबन्धक (निरीक्षण-याता/संस्थापन-याता/संचालन-याता/जनसम्पर्क), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. मुख्य प्रबन्धक रा.रा.प.प.नि,.....आगार।
7. आदेश पत्रावली।

(५)
(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)